ग्राम पंचायत रेवग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016
भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रेवग विकास खण्ड बसन्तपुर जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति मीरा वर्मा	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री खेम राज	23.1.16 से लगातार

सचिव

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री बाल कृष्ण	1.4.13 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत रेवग के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	9	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.08
2	10	14वें वितायोग से प्राप्त अनुदान की राशि का उपयोग न करना	2.60
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	4.62
4	14(ख)	मस्ट्रोलों को पारित किये बिना मजदुरों को भुगतान करना	12.89
5	14(ग)	ठेकेदार से संवैधानिक कटौतियॉ न करना	0.45

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत रेवग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23.7.2016 व 25.7.2016 से 27.7.16 तक ग्राम पंचायत, रेवग के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 1/14, 3/15, 10/15 तथा माह 3/14, 3/15, 1/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत रेवग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹8000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0–2 दिनांक 26.7.16 द्वारा सचिव, पंचायत रेवग से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत रेवग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–1** पर भी संलग्न है।

{1} स्व स्त्रोत व विविध अनुदान :– ग्राम पंचायत रेवग के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक स्व स्त्रोतों व विविध अनुदान **(खाता "क")** की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	823498.06	1080056	1903554	721140	1182414.06
2014–15	1182414.06	880798	2063212	732155	1331057.06
2015–16	1331057.06	1686831	3017888	2253571	764317.06

{2} अनुदानः– ग्राम पंचायत रेवग द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता "ख")** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अनुदानों का विस्तृत विवरण

मनरेगा

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	30894	1673555	1704449	1696939	7510
2014–15	7510	1461069	1468579	1467009	1570
2015–16	1570	783875.1	785445.1	785445	0

वाटर शैड

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	10780	611503	622283	177015	445268.3
2014–15	445268.3	516298	961566.3	784034	177531.9
2015–16	177531ण्9	73004	250535.9	158940	91595.92

5 रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत रेवग की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैक समाधान विवरणीः– अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, रेवग द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में **₹3246** का अन्तर था।

क्रम सं0	**खाता**	**अन्तशेष**
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	रोकड वही के अनुसार शेष खाता ''क''–पैरा 4(1)	764317.06
2	रोकड वही के अनुसार शेष खाता ''ख''–पैरा 4(2)	91595.92
	कुल योग	**855912.98**
1	**बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष (परिशिष्ट –2)**	**850913.98**
2	**हस्तगत राशि**	**1753**
	कुल योग	**852666.98**
	रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	**3246**

अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना

(क) रोकड वही का निर्माण नियमानुसार न करनाः– ग्राम पंचायत रेवग की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) के अनुसार रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा पंचायत स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु तीन रोकड़ बहियों का निमार्ण किया गया है जो कि नियम के विरूद्व है। अतः नियमों के विरूद्व तीन रोकड बहियों का निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) लैजर खातों का निर्माण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फार्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया

जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत रेवग में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। प्रत्येक योजना के लिए अलग से लैजर बनाए जाने से किसी भी समय योजना विशेष की वित्तीय स्थिति तथा उस योजना में अन्तशेष की जानकारी उपलब्ध हो सकती है। अतः नियमों के विरूद्व अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) नियमों के विरूद्व आठ बैंक बचत खातों का खोला जाना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता ''क'' में पंचायत के स्वयं संसाघनों से प्राप्त आय तथा खाता ''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत रेवग में दो के स्थान पर **परिशिष्ट–2** में वर्णित आठ बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्व खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

7 निवेश

सचिव ग्राम पंचायत रेवग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि में से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित निमय के अनुसार तैयार न करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवाया जा रहा है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹0.08 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

सचिव, ग्राम पंचायत रेवग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–3)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व की **₹7575** वसूली शेष थी।

सम्पति कर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	––	16400	16400	10840	5560
2014–15	5560	16800	22360	17425	4935
2015–16	4935	18400	23335	15760	**7575**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत ने प्रमाण पत्र द्वारा

परिशिष्ट–3 (क) लेखा परीक्षा को सूचित किया है कि ग्राम पंचायत रेवग के अन्दर जितने भी टेलीफोन टावर लगे हैं उनसे लेखा परीक्षा की तिथि तक कोई भी राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। मोबाईल टावर की फीस प्राप्त न करने से पंचायत राजस्व को हानि हो रही है। अतः पंचायत के अन्दर जितने भी मोबाईल टावर स्थापित किए गए हैं, उनकी पंचायत स्तर पर पूर्ण छान–बीन करने के उपरान्त उनसे उनकी स्थापना की तिथि से टावर स्थापित करने की फीस व नवीनीकरण की फीस प्राप्त करके अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।

10 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदान की ₹2.60 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–4)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की ₹259774 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.62 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹461604 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,

जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
3	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
4	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(1)
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	विभिन्न कार्यो का तकनीकी रजिस्टर	31	95(1)

14 विविध अनियमितताए

(क) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पदान करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) मस्ट्रोलों को पारित किये बिना ही मजदुरों को ₹12.89 लाख का भुगतान करना

मनरेगा व्यय वाउचर (मस्ट्रोल) की जॉच में पाया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य के मस्ट्रोल तैयार किये गये थे, जिन्हें कई जगह पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रधान द्वारा पारित नहीं किया गया था। चयनित माह 3/2015 में कुल ₹1289290 का भुगतान/व्यय मजदूरी के रूप में किया गया, परन्तु कोई भी मस्ट्रोल आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित/पारित नहीं किया गया था। इस प्रकार बिना मस्ट्रोल को पारित किये इतनी अधिक राशि का भुगतान करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति/कारण स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के समस्त बिलों/मस्ट्रोलों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी/सक्षम अधिकारी प्रधान से पारित करवाया जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की कोताही न बरती जाये तथा मस्ट्रोल/बिल का भुगतान आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रधान द्वारा पारित होने के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित कीया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ग) ठेकेदार के बिलों से ₹0.45 लाख की संवैधानिक कटौतियॉ न करना

निर्माण कार्य के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रतिभुति राशि, आयकर, बिक्री कर तथा लेबर सैस की **₹45000** की अपेक्षित संवैधानिक कटौती ठेकेदार से नहीं की थी :–

Sr. No	Bill / Vr. No	Month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	006 dt. 27-12-14	3/15	Cutting in earth work.	Prem J.C.B Service VPO Behli Tehsil Sundernagar Distt. Mandi.	50000
2	148 dt. 22-10-15	1/16	J.C.B Charges	Vinod Kumar Sharma Vill.Katalli P.O. Kiar koti Distt. Shimla.	150000
3	152 dt. 6-11-15	1/16	-do-	-do-	100000
				Total	**300000**
				प्रतिभुति राशि 10 %	30000

विक्री कर 2 %	6000
आयकर 2 %	6000
लेबर सैस 1 %	3000
कटौतियों की कुल राशि	**45000**

इस प्रकार ठेकेदारों के भुगतान बिलों से संवैधानिक कटौतियौं न करने के कारण सरकारी राजस्व को हानि हुई, जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए व किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये अन्यथा इन कटौतियों की राशियों की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों के भुगतान के समय सभी संवैधानिक कटौतियां करनी सुनिश्चित की जाए।

(घ) क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर 10 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 की बजरी पर 5 प्रतिशत की दर पर से तथा 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 की बजरी पर 10 प्रतिशत की दर से तथा इससे अधिक की मोटाई के पथरों की आपूर्ति पर 12.5 % की दर से voids की कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना, जोकि **परिशिष्ट–6** पर संलग्न है, के अनुसार बजरी व पथरों पर voids की कटौती नहीं की गई थी, जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को ₹4860 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ड़) दैनिक भत्ते के रुप में ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री जगदीश शर्मा, तकनीकी सहायक और श्री बाल कृष्ण, पंचायत सचिव को निम्नविवरण के अनुसार ₹2816 के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रुप में अधिक भुगतान किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।

1 श्री जगदीश शर्मा, तकनीकी सहायक

अवधि	कुल दिन	दैनिक भत्ते की दर जिसके अनुसार भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि	वास्तविक दर जिसके अनुसार दैनिक भत्ता देय था	अधिक भुगतान की गई राशि
3.8.13 से 11.2.14	38	₹100/– प्रति दिन	3800.00	₹56/–प्रति दिन (38 X56) = 2128.00	1672.00

2 श्री बाल कृष्ण, पंचायत सचिव

20.5.13 से 20.2.14	22	100	2200.00	₹48/– प्रति दिन 1056.00	1144.00
				योग	**2816.00**

(च) मजदूरों को ₹502 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरण के अनुसार मजदुरों को ₹502 का अधिक भुगतान गल्त गणना के कारण किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम सं0	मस्ट्रोल सं0	माह	रोकड़ वही पृष्ठ सं0	भुगतान देय	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1	29948 सामान्य निधि	10/15	42	18744	18784	40.00
2	483 मरनेगा निधि	3/15	08	10318	10780	462.00
					योग	**502.00**

(छ) मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का विलम्ब से भुगतान करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों में मजदूरी का विलम्ब से भुगतान किया गया था। खण्ड विकास अधिकारी के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार मस्ट्रोल की अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए था, परन्तु निम्न प्रकरणों में भुगतान बिलम्ब से हुआ। अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि मजदुरों को ऑनलाइन भुगतान खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा जब खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में मनरेगा योजना का फण्ड आता है, तो भुगतान कर दिया जाता है। अतः मजदूरों को देरी से भुगतान करने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में मजदुरों को मस्ट्रोल की सामाप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	मस्ट्रोल सं0	मस्ट्रोल की अवधि	ऑनलाईन भुगतान की तिथि	बिलम्ब के दिन	राशि	रोकड वही पृष्ठ सं0
1	2997	13.3.14 से 24.3014	5.6.14	73 दिन	6900	11
2	1660	6.12.14 से 19.1214	18.2.15	61 दिन	14014	11
3	2717	8.3.14 से 21.3.14	5.6.14	76 दिन	11592	10
4	1665	5.1214 से 19.1214	18.2.15	61 दिन	8778	10
5	2783	11.3.14 से 24.3.14	5.6.14	73 दिन	11454	10
6	2694	8.3.14 से 21.3.14	5.6.14	76 दिन	19182	10
7	2703	8.3.14 से 21.3.14	5.6.14	76 दिन	5244	9
8	2782	11.3.14 से 24.3.14	5.6.14	73 दिन	13800	10
9	2713	8.3.14 से 21.3.14	5.6.14	76 दिन	15042	9
10	1661	6.12.14 से 19.12.14	18.2.14	61 दिन	11088	9
				योग	**117094**	

(ज) निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की खपत का अभिलेख न रखना

ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य निधि व मनरेगा के लिए एक संयुक्त स्टॉक रजिस्टर का निर्माण किया गया था, परन्तु उसमें समय–समय पर वांछित प्रविष्टियॉ नहीं की गई थी, जोकि अनियमित है। पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, रेत बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु लाखों रूपये की राशि व्यय की जा रही है परन्तु क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर

में प्रविष्टि न करने के अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस कार्य हेतु कितनी सामग्री की खपत हुई है तथा किसी तिथी विशेष को कितनी मात्रा शेष थी। इस प्रकार अभिलेख में इनकी प्रविष्टियां न करने के कारण स्टॉक में दुःर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक से जारी होने वाले समस्त सामान की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उसकी वास्तविक खपत व अन्त शेष का भी अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(झ) मनरेगा निर्माण कार्य

मनरेगा के निर्माण कार्यों के व्यय वाउचरों का अवलोकन पर पाया गया कि मरनेगा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित कार्य के प्राक्क्लन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति इत्यादि अभिलेख सम्बन्धित निर्माण कार्यो की नस्तियों में उपलब्ध नहीं थे। जिस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए तथा उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख को सम्बन्धित फाईलों में आवश्यक रूप से रखा जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इनकी अपेक्षित जांच हो सके।

15 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके, विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 19/2016–खण्ड–1–6670–6673 दिनाँकः26.12.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत रेवग, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.